



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1851/2017

पीठासीन अधिकारी:– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. गोपाल पुत्र रामा जाति लोधा
 2. किशनलाल पुत्र रामा जाति लोधा
 3. दिलखुश उर्फ दलपत पुत्र रामा जाति लोधा
 4. मदन पुत्र चतरभुज जाति लोधा
 5. रतन पुत्र चतरभुज जाति लोधा
 6. जमना पुत्र चतरभुज जाति लोधा
 7. रामनारायण पुत्र चतरभुज जाति लोधा
- समस्त निवासीगण लोधो का झोपडा (चिकल्या) तह.सावर जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू पुत्र रामपाल जाति लोधा
 2. रामप्यारी पत्नि रामनारायण जाति लोधा
 3. मानी पत्नि रतन जाति लोधा
 4. छोटू पुत्र रूपा जाति लोधा
- समस्त निवासीगण लोधो का झोपडा (चिकल्या) तह.सावर जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सावर जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. मगनलाल लोधा एडवोकेट वादी
2. पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार सावर तह.सावर जिला अजमेर

निर्णय

दिनांक:–04.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा चिकल्या तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत् 2071-74 के खाता नम्बर 70 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 165, 246/2581, 276, 301, 309, 320, 354, 3049, 2135, 2137 कुल किता 10 कुल रकबा 2.51 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा आदि किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। प्रतिवादी लैण्डलार्ड (भूमि का मालिक) होने से प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया है। वादी वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी की तलबी की गयी। प्रतिवादी को जवाब पेश करने हेतु दिनांक 23.11.2017 से 27.02.2018 तक का समय दिया गया जो कि 90 दिन से अधिक समय हो जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया है। लिहाजा प्रतिवादी का जवाब बन्द कर प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है।

बहस के दौरान वकील वादी ने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुये निवेदन किया कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा चिकल्या तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत् 2071-74 के खाता नम्बर 70 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 165, 246/2581, 276, 301, 309, 320, 354, 3049, 2135, 2137 कुल किता 10 कुल रकबा 2.51 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है वादग्रस्त भूमि खातेदारी की आराजी है। वादग्रस्त आराजी में वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या अन्य सरोकार नहीं है। वादी की स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। जिसे स्वीकार फरमाने की प्रार्थना वादी के अधिवक्ता ने की है।

बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि वादी अपनी स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। वादग्रस्ता आराजी वादी की स्वयं की खातेदारी की आराजी है तथा वादग्रस्त आराजी बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक मेहरुकंला के नामान्तकरण संख्या 825, 826 से रहन दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी में होने से पत्थरगढी किये जाने में प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । जिसमें वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है। वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का ग्राम लोधो का झोपडा (चिकल्या) तहसील सावर के वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 165, 246/2581, 276, 301, 309, 320, 354, 3049, 2135, 2137 कुल किता 10 कुल रकबा 2.51 है. भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सावर को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा कर वादग्रस्त भूमि पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी